

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्र/ 150 / डी.एड.सेल / 2010
प्रति,

भोपाल, दिनांक 11 / 11 / 2010

प्राचार्य,
विकेरेटिपिकोलेज आफ एज्युकेशन नयापुरा भोपाल

जिला- भोपाल (म.प्र.)

विषय:- सत्र 2010-11 के लिये डी.एड. परीक्षा हेतु मण्डल की सम्बद्धता बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रं. / / / 2010 दिनांक / / 2010

—//—

उपरोक्त संदर्भित आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य में आपकी संस्था को डिप्लोमा इन एज्युकेशन परीक्षा हेतु माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.भोपाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की अनुमति के आधार पर 50 छात्रों के लिये निम्न शर्तों के अंतर्गत सम्बद्धता प्रदान करता है:-

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मूलभूत सुविधाएँ जैसे कि भवन की पर्याप्त व्यवस्था, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, प्रशिक्षित टीचिंग व अन्य स्टाफ की व्यवस्था होनी चाहिये।
2. संस्था द्वारा छात्रों को डी.एड. में प्रवेश राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अंतर्गत ही दिया जावेगा।
3. प्रत्येक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि में 210 दिवसों में से 50 दिवस प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिये आवश्यक होंगे। प्रशिक्षण की व्यवस्था शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से की जाएगी।
4. यदि यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तो संबंधित संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जावेगी।
5. एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता समाप्त करने की दशा में मण्डल की सम्बद्धता भी उसी के साथ स्वतः समाप्त हो जायेगी।


सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल

पृ.क्रमांक / 151 / डी.एड.सेल / 2010
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 11 / 11 / 2010

1. संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल जिला भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।


सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल

माशिममो-344 - 51023/2010-11 - 9/11/2010 - 2000